कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा. 15(1)(8)सविरा/नियम/भण्डार उपनियम/87 पार्ट–3 दिनांक : 9/10/2014

अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त

विषय : जिला सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार के उपनियमों में संशोधन बाबत।

——oo——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संविधान के 97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में हुए संशोधन के आलोक में जिला सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार के उपनियमों को अधिनियम संशोधन से सुसंगत बनाये जाने हेतु पूर्व में उक्त संस्थाओं के उपनियमों में संशोधन जारी किये गये थे। उक्त संशोधनों को अधिक सुगम एवं व्यवहारिक बनाये जाने की दृष्टि से एवं फील्ड से प्राप्त सुझावों के आधार पर कतिपय उपनियमों में संशोधन प्रस्तावित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आप जिला सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत संलग्न उपनियम संशोधन संबंधित संस्थाओं को प्रस्तावित करते हुए संशोधन संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

क्रमांक : फा. 15(1)(8)सविरा/नियम/भण्डार उपनियम/87 पार्ट–3 दिनांक : 9/10/2014

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त पंजीयक (उपभोक्ता) प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर।
3. प्रयार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. गार्ड पत्रावली ।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

171

जिला सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार के उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
9(2)	"अ" श्रेणी के व्यक्तिगत सदस्यों के द्वारा साधारण सभा में भाग लेने हेतु प्रतिनिधि का निर्वाचन राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्र बनाकर पांच वर्ष में एक बार किया जावेगा। निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधि संचालक मण्डल की अवधि के समानान्तर होगी। साधारणतया प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद् नगर निगम, बोर्ड इस हेतु गठित क्षेत्र माना जावेगा, परन्तु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों में कम से कम 200 सदस्यों को होना आवश्यक होगा। 200 से कम सदस्यों की संख्या होने की स्थिति में तत्संबंधी नगर पालिका वार्ड को निकटतम वार्ड/वार्डों को साथ मिलाकर निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जावेगा। इस प्रकार सम्मिलित वार्डो की भौगोलिक सीमा परस्पर मिलती हुई हों तथा वह एक सामिति क्षेत्र गठन करती है। उपरोक्त स्थिति से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता होने पर संचालक मण्डल को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की पूर्व अनुमति लेनी होगी।	(क) 'अ' श्रेणी के व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों की संख्या अधिक होने पर उपनियम क्रमांक 11(1)(ख) के अन्तर्गत चुने जाने वाले संचालक मण्डल के 6 सदस्यों के निर्वाचन हेतु, संचालक मण्डल द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करवाये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा जो व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय की अवधि संचालक मण्डल की अवधि के समानान्तर होगी। ऐसे प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु भंडार के कार्यक्षेत्र को संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जायेगा जिस पर रजिस्ट्रार का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। (ख) निर्वाचन क्षेत्रों के गठन हेतु साधारणतया प्रत्येक नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम वार्ड को आधार लिया जा सकेगा, किन्तु प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में सदस्यों की संख्या कम से कम 50 (अथवा 200, यथास्थिति) होनी आवश्यक होगी। सदस्यों की संख्या 50 (अथवा 200, यथास्थिति) से कम होने की स्थिति में संबंधित नगर पालिका वार्ड

		को निकटतम वार्ड/वार्डों के साथ मिलाकर निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार किया जायेगा कि ऐसे वार्डों की भौगोलिक सीमा परस्पर मिली हुई हो। यदि उपरोक्त स्थिति से भिन्न निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाने की आवश्यकता हो तो इसके लिए रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी। (ग) जहां उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (क) पर वर्णितानुसार व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों के प्रतिनिधि चुने जाने का निर्णय लिया जाता है, वहां ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा करवाया जावेगा तथा सामान्य सभा में व्यक्तिगत सदस्यों का प्रतिनिधित्व ऐसे प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) ही करेंगे। किन्तु जहां संचालक मण्डल ऐसे प्रतिनिधि चुने जाने का निर्णय नहीं लेता है, वहां सभी व्यक्तिगत उपभोक्ता सामान्य सभा में भाग लेंगे तथा उपनियमों में जहां "व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों के प्रतिनिधियों" का उल्लेख है, वहां इससे "व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्य" का ही तात्पर्य लिया जायेगा।
9(3)	किसी एक वार्ड में मतदाता सदस्यों की संख्या 200 से अधिक होने की अवस्था में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं रखा जावेगा। बल्कि तत्संबंधी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी सदस्यों में से आमसभा के लिए	जहां गंडार का संचालक मण्डल उपरोक्त उपनियम क्रमांक 9(2)(क) के अन्तर्गत प्रतिनिधि निकाय गठित करने का निर्णय लेता है, वहां व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों की संख्या 10 हजार होने पर प्रत्येक 50 व्यक्तिगत

प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्नानुसार करवाया जावेगा:—

1. 1से 200 तक सदस्यों की संख्या पर एक प्रतिनिधि
2. 201 से 400 तक सदस्यों की संख्या पर दो प्रतिनिधि
3. 401 से 600 तक सदस्यों की संख्या पर तीन प्रतिनिधि
4. 601 से 800 तक सदस्यों की संख्या पर चार प्रतिनिधि

अतः उक्तानुसार प्रत्येक 200 सदस्यों की संख्या पूरी होने पर एक अतिरिक्त प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जावेगा।

उपभोक्ता सदस्यों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जायेगा। व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों की संख्या 10 हजार से अधिक होने पर प्रत्येक 200 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जायेगा। किसी एक नगर पालिका वार्ड में व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों की संख्या 50 (अथवा 200, यथास्थिति) से अधिक होने की स्थिति में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं रखे जायेंगे, अपितु उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी सदस्यों में से साधारण सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्नानुसार करवाया जावेगा :—

दस हजार तक सदस्य संख्या वाले भंडारों में	दस हजार से अधिक सदस्य संख्या वाले भंडारों में
1. 50 से 99 तक सदस्य संख्या पर एक प्रतिनिधि	1. 200 से 399 तक सदस्य संख्या पर एक प्रतिनिधि
2. 100 से 149 तक सदस्य संख्या पर दो प्रतिनिधि	2. 400 से 599 तक सदस्य संख्या पर दो प्रतिनिधि
3. 150 से 199 तक सदस्य संख्या पर तीन प्रतिनिधि	3. 600 से 799 तक सदस्य संख्या पर तीन प्रतिनिधि

		4. 200 से 249 तक सदस्य संख्या पर चार प्रतिनिधि इसी प्रकार से आगे भी 50 के गुणांकों में सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की जायेगी।	4. 800 से 999 तक सदस्य संख्या पर चार प्रतिनिधि इसी प्रकार से आगे भी 200 के गुणांकों में सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की जायेगी।
11(1)(ल)	क्रमांक: 1(ब) व 1(स) अंकित सुरक्षित स्थानों हेतु व्यक्तियों का निर्वाचन सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं व्यक्तिगत सदस्य दोनो मिलकर निर्वाचन क्षेत्र का गठन करेंगे तथा अन्यार्थी के प्रस्तायक और समर्थक संबंधित क्षेत्र से ही होंगे।	विलोपित	
11(2)	सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं व्यक्तिगत उपभोक्ता ही मत देगें। सुरक्षित स्थानों पर प्रतिनिधियों का चुनाव करने हेतु समस्त सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं समस्त व्यक्तिगत सदस्य मत देगें।	प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही मत प्रयोग कर सकेगा।	

24.	कोई प्रावधान नहीं है।	**सदस्यों के हिस्से आदि पर संस्था का अधिकार** सदस्य व भूतपूर्व सदस्य के जमा हिस्से, अमानत और अन्य प्रकार की किसी रकम पर संस्था का प्रथम चार्ज (अधिकार) होगा और संस्था ऐसे सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य के बकाया ऋण में उसकी जमा शुदा रकम या उसे देने योग्य रकम को ऐसे बकाया ऋण में जमा कर वसूली कर सकती है।
25.	कोई प्रावधान नहीं है।	यदि अधिनियम, नियमों का उपविधियों की रचना के संबंध में कोई संदेह होगा तो संचालक मण्डल उसे राय के लिये रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रार महोदय की राय अन्तिम होगी।
26.	कोई प्रावधान नहीं है।	**भण्डार के गठन, प्रबन्ध या कारोबार से संबंधित विवाद** राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 58 में उल्लेखित भण्डार के गठन, प्रबन्ध या कारोबार से संबंध रखने वाला कोई विवाद रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
27.	कोई प्रावधान नहीं है।	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2003 एवं उपविधियों की प्रति, सदस्यों का रजिस्टर एवं निर्धारित अभिलेख सदस्यों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण करने के लिये संस्था अपने रजिस्टर्ड पते पर रखेगी।
28.	कोई प्रावधान नहीं है।	**संचालक मण्डली व कर्मचारी वर्ग के सदस्यों द्वारा गोपनीयता की घोषणा** भण्डार का प्रत्येक संचालक निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पर

		हस्ताक्षर करेगा कि जिसके द्वारा मण्डार की समस्त कार्यवाही और उससे संबंधित समस्त विषयों को पूर्णतया गुप्त रखने का वचन देगा। अपने कर्तव्य पालन के समय उस की जानकारी में आये हुये किसी विषय को प्रगट नहीं करेगा, सिवाय उस दशा में जबकि वह उपविधियों या संचालक मण्डल के द्वारा अधिकृत न किया जावे। कर्मचारी वर्ग या प्रत्येक सदस्य भी इसी प्रकार के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तथा गोपनीयता का वचन देगा।
29.	कोई प्रावधान नहीं है।	<u>विघटन</u> भण्डार का विघटन राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार होगा।